कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 4694 /2017/रायगढ़, दिनांक – 31/07/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छ.ग. ईस्ट रेल्वे लिमि.
द्वितीय तल CSIDC COMPLEX
महादेव घाट रोड, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत ईस्ट रेल कॉरीडोर एवं रेल स्पर रेल लाईन में प्रभावित वन क्षेत्रों में वन्यप्राणी एवं पक्षी संवर्धन परियोजना के लिये परियोजना लागत की राशि वसूल करने के संबंध में।**

संदर्भ:– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–368/ 4729 दिनांक 27.12.2017 एवं क्रमांक/4731 दिनांक 27.12.2017

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./4467 दिनांक 10.07.2017

3. आपका पत्र क्रमांक/CERL/17-18/185 दिनांक 21.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत ईस्ट रेल कॉरीडोर एवं रेल स्पर रेल लाईन में प्रभावित वन क्षेत्रों में वन्यप्राणी एवं पक्षी संवर्धन परियोजना हेतु आपको कुल 1741.50 लाख जमा करने हेतु लेख किया गया था, ईस्ट रेल कॉरीडोर प्रकरण में धरमजयगढ़ नोडल वनमण्डल होने के कारण उनके द्वारा उस प्रकरण की राशि जमा करने हेतु राशि रू. 879.00 लाख की मांग पत्र जारी किया गया है। अतः आप केवल ईस्ट रेल कारीडोर (स्पर लाईन) हेतु संशोधित निम्नानुसार राशि जमा करें :–

क्र.	प्रकरण का नाम	वनमण्डल का नाम	प्रभावित रकबा (हे.)	पक्षी संवर्धन की राशि (लाख में)	वन्यप्राणी संवर्धन की राशि (लाख में)	कुलयोग राशि (लाख में)
1	ईस्ट रेल कारीडोर (स्पर लाईन)	रायगढ़	26.520	22.50	840.00	**862.50**

उपरोक्तानुसार राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई–चालान के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा जमा करें एवं चालान की प्रति सहित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 4695 /2017/रायगढ़, दिनांक – 31/07/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.)छत्तीसगढ़, रायपुर
3. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर
4. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
5. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल

– की ओर सादर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

D:\DM\Memo 2017\July 2017.doc

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎ 07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) फैक्स 07766-266740 E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediff.co.in

क्रमांक/मा.चि./2017/ 3950 /धरमजयगढ़, दिनांक 07/7/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छ.ग. ईस्टर्न रेल्वे लिमिटेड
सी.एस.आई.डी.सी.,
कामर्शियल काम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड,
रायपुर चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :— रायगढ़ जिले के रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत ईस्ट रेल कारीडोर एवं ईस्ट रेल स्पर रेल लाईन में प्रभावित वन क्षेत्रों में वन्यप्राणी संवर्धन परियोजना के लिए परियोजना लागत की राशि वसूल करने के संबंध में।

संदर्भ :— (1) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यप्राणी) रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./व.प्रा./ प्रबंध–368/4733 दिनांक 27.12.2016

(2) मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./तक./45 दिनांक 03.01.2017 एवं पत्र क्र./तक./189 दिनांक 06.01.2017.

(3) इस कार्यालय का पत्र क्र./मा.चि./ 54 दिनांक 04.01.2017 एवं पत्र क्र./मा.चि./ 125 दिनांक 09.01.2017

———0———

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर निर्माण करने हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि हेतु जारी स्वीकृति के अधिरोपित शर्त क्रमांक (XIII, XV) अनुसार प्रभावित वनक्षेत्रों में वन्यप्राणी संवर्धन कार्य जिसमें हाथी हेबिटेड के विकास एवं पक्षी संवर्धन परियोजना हेतु निम्नानुसार राशि जमा करने हेतु आपको डिमांड नोट जारी किया गया था। मुख्य वनसंरक्षक के निर्देशानुसार राशि प्रकरण के नोडल वनमण्डल के द्वारा वसूल किया जाना है।

अतः प्रकरण ईस्ट रेल कारीडोर रकबा 76.099 हे. में प्रभावित वनक्षेत्र में वन्यप्राणी संवर्धन कार्य जिसमें हाथी हैबिटेड के विकास एवं पक्षी संवर्धन परियोजना हेतु परियोजना लागत की राशि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र.	प्रस्ताव का नाम	नोडल वनमण्डल का नाम	वनमण्डल का नाम	प्रभावित रकबा हे.	पक्षी संवर्धन की राशि (लाख में)	वन्यप्रणी संवर्धन की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	ईस्ट रेल कॉरीडोर	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	56.249	49.00	1740.00
			रायगढ़	19.850	19.00	860.00
			योग :—	76.099	68.00	2600.00

उपरोक्तानुसार राशि 26,68,00000/— कैम्पा (CAMPA) कार्पोरेशन बैंक ब्लाक 11 सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, फेश 1 लोधी रोड, नई दिल्ली — 110003 में स्थित खाता क्रमांक 037100101025203 में वेब पोर्टल पर ई– चालान उत्पन्न कराकर अनुमोदन उपरांत राशि जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय मे उपलब्ध करावें एवं अंतिम चरण का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

D:\DM Sec\D' MAN\Coal Block & Other\Ircon international\memo.doc

क्रमांक/मा.चि./2017/ 3551 /धरमजयगढ़, दिनांक 07/7/2017

प्रतिलिपि :—

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

(2) मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

✓(3) वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ वनमण्डल (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

for n/a pl.
11/7/17

MCG

D:\DM Sec\P MAN\Coal Block & Other\Ircon internaional\memo doc

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ वनमण्डल, रायगढ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 4162 /2017/रायगढ, दिनांक – 07/07/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छ.ग. ईस्ट रेल्वे लिमि.
द्वितीय तल सी.एस.आई.डी.सी.
कमर्शियल काम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **Divesion of 26.520 ha. of Forest Land in favour of Chhattisgarh East Railway Limited Construction of 38 (10+28) KM Railway Line from Kharsiya to Gurda and Gharghoda to Gare0-Pelma Under East Rail Corridor in the State of Chhattisgarh.**

संदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/CH-47/2016-NGP/1972 दिनांक 27.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा रायगढ जिले के रायगढ वनमण्डल अंतर्गत 0 से 10 एवं 0 से 28 कि.मी. रेल कॉरिडोर के स्परलाईन (खरसियां से गुरदा (खरसिया से गुरदा एवं घरघोड़ा से गारे पेलमा) हेतु प्रभावित कुल 26.520 हे. वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छत्तीसगढ ईस्ट रेल कारीडोर लिमिटेड को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxxi) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र प्रेषित करें एवं निम्नानुसार राशि जमा करें।

1) समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक 556 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5–3/2007–FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 22.264 हे. की सघन वन भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास–III ओपन फॉरेस्ट अनुसार प्रति हे. 8.03 लाख अनुसार राशि रूपये 1,78,77,992/– एवं 4.256 हे. खुला वन भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास–III ओपन फॉरेस्ट अनुसार प्रति हे. 6.26 लाख अनुसार राशि रूपये 26,64,256/– कुल राशि रूपये **2,05,42,248/–** (दो करोड़ पांच लाख बयालिस हजार दो सौ अड़तालीस) जमा करें।
2) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर अप्रैल 2017 में देय दर अनुसार लागत राशि रूपये प्रति हेक्टेयर 6,00,222/– की दर से दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 53.040 हे. का राशि रूपेय 3,18,35,775/– जमा करें।

3) अधिरोपित शर्त क्रमांक xii के पालन आवेदित क्षेत्र को 04 फीट ऊँची आर.सी.सी. पीलर्स द्वारा सीमांकित किये जाने हेतु राशि रू. 5,71,398/– (रू. पाँच लाख ईखत्तर हजार तीन सौ अन्ठानबे) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।

4) वृक्ष विदोहन की राशि योजना अनुसार 29,16,447/– (रूपये उनतीस लाख सोलह हजार चार सौ सैंतालिस) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।

बिन्दु क्रमांक 01 और 02 की राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक, ब्लॉक 11, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, फेस–I लोदी रोड नई दिल्ली–110003 स्थित खाता क्रमांक SB01025203 में ई–पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा जमा करें।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

D:\DM\Memo 2017\July 2017.doc